प्रारंभिक परीक्षा

भारत, इटली ने IMEEC पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति जतायी

संदर्भ

भारत और इटली ने महत्वाकांक्षी भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप-आर्थिक गलियारे (IMEEC) के कार्यान्वयन में संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया है।

IMEEC के बारे में -

- **IMEEC एक रणनीतिक व्यापार और संपर्क पहल है जो रेलमार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क के माध्यम से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ती है।**
- **उत्पत्ति**: इसकी घोषणा **नई दिल्ली में G20 बैठक** के दौरान की गई थी।
- **सदस्य देश**: भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, जर्मनी और इटली।
- **लक्ष्य**: एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को एकीकृत करना और इन क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना।
- **IMEEC में 2 गलियारे शामिल हैं:**
  - **पूर्वी गलियारा:** भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है।
  - **उत्तरी गलियारा**: खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है।

Ports which are Part of IMEEC	
Country	**Port**
India	Mundra, Kandla, Jawaharlal Nehru Port Trust (Mumbai).
UAE	Fujairah, Jebel Ali, Abu Dhabi
Saudi Arabia	Dammam, Ras Al Khair
Israel	Haifa
Greece	Piraeus
Messina	Italy
Marseille	France

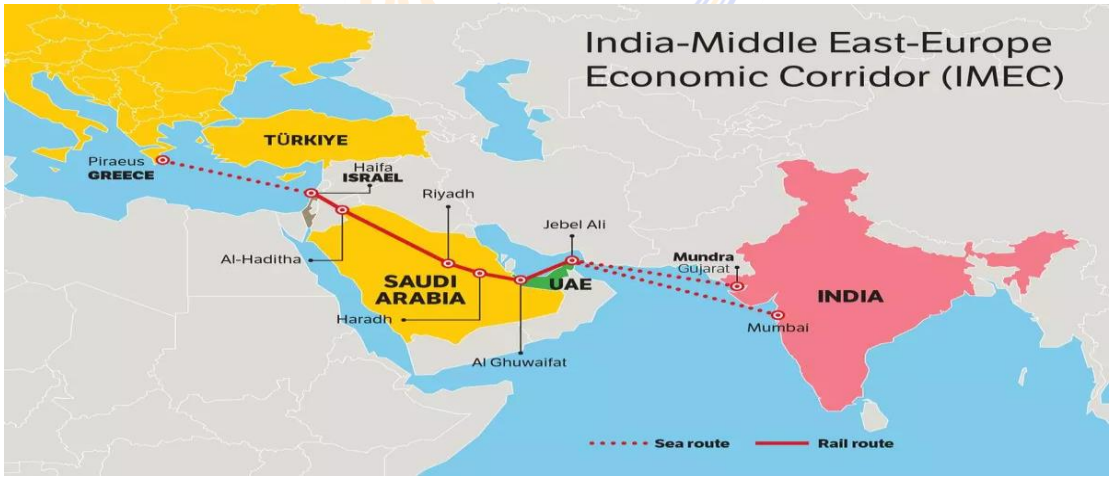

संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (JSAP) 2025–29

- इसे **नवंबर 2024** में **रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के फोकस क्षेत्र:** व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और हरित संक्रमण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और गतिशीलता।

स्रोत: Indian Express - IMEEC

सिलिकॉन फोटोनिक्स(Silicon Photonics)

संदर्भ

हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन चिप पर सीधे काम करने वाला **पहला लघु लेजर(miniaturised laser)** बनाया है, जो सिलिकॉन फोटोनिक्स में एक उल्लेखनीय सफलता है।

सिलिकॉन फोटोनिक्स क्या है?

- **सिलिकॉन फोटोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो सिलिकॉन-आधारित माइक्रोचिप्स पर सूचना ले जाने और संसाधित करने के लिए बिजली (इलेक्ट्रॉन) के बजाय प्रकाश (फोटॉन) का उपयोग करती है।**
- यह पारंपरिक **सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स** के साथ **ऑप्टिकल घटकों** को जोड़ती है, जिससे चिप्स के बीच और भीतर तेज़ और अधिक ऊर्जा-कुशल संचार संभव होता है।
- **इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटॉनों का लाभ**:
    - फोटॉन तेजी से चलते हैं और एक बार में बहुत अधिक डेटा ले जा सकते हैं (उच्च बैंडविड्थ)।
    - वे कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और संचरण के दौरान कम ऊर्जा खोते हैं।
    - यह फोटोनिक चिप्स को **उच्च गति वाले डेटा संचरण** के लिए आदर्श बनाता है**,** विशेष रूप से सर्वर या चिप्स के बीच जैसी छोटी दूरी पर।

फोटॉन उपयोग में चुनौती -

- एक प्रमुख चुनौती प्रकाश स्रोत (लेजर) को सीधे सिलिकॉन चिप में एकीकृत करना था, क्योंकि **सिलिकॉन स्वाभाविक रूप से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है।**
    - **सिलिकॉन में अप्रत्यक्ष बैंडगैप होता है,** जिसका अर्थ है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के स्तर को कम करने और प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए सहायता (कंपन ऊर्जा की तरह) की आवश्यकता होती है।
- **आदर्श समाधान** यह है कि **लेज़र को सीधे सिलिकॉन चिप पर विकसित किया जाए**, लेकिन यह कठिन है क्योंकि
    - **गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन** जैसी **पदार्थ की क्रिस्टल संरचना** अलग-अलग होती है।
    - जब एक को दूसरे पर विकसित किया जाता है तो इससे दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे दक्षता कम हो जाती है।
- हाल ही में शोधकर्ताओं ने इस एकीकरण समस्या को हल किया:
    - उन्होंने 300 मिमी सिलिकॉन वेफर में नैनोमीटर चौड़ाई के अंतरालों का इस्तेमाल किया और इन अंतरालों के तल पर गैलियम आर्सेनाइड लगाया, जिससे दोष वहीं समाप्त हो गए।
    - इससे उच्च गुणवत्ता वाली लेजर सामग्री ऊपर विकसित हुई।
    - प्रत्यक्ष एकीकरण **लागत को कम करता** है, जिससे प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोगी बन जाती है।

स्रोत: **The Hindu - Silicon Photonics**

गोल्ड लोन NPA में वृद्धि

संदर्भ

बकाया गोल्ड लोन और **गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) में वृद्धि** के जवाब में **RBI गोल्ड लोन के लिए एक नया ढांचा तैयार कर रहा है।**

गोल्ड लोन और NPA में वृद्धि -

- **आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार**: एक वर्ष में गोल्ड लोन NPA में 28.58% की वृद्धि हुई|
  - बकाया ऋण में 27.26% की वृद्धि हुई।
- NPA 5,307 करोड़ रुपये (दिसंबर 2023) से बढ़कर 6,824 करोड़ रुपये (दिसंबर 2024) हो गया।
- **दिसंबर 2024 तक कुल बकाया गोल्ड लोन**: 11,11,398 करोड़ रुपये (दिसंबर 2023 में 8,73,701 करोड़ रुपये था)।

गोल्ड लोन डिफॉल्ट बढ़ने के पीछे कारण -

- **आरबीआई द्वारा ऋण खंड में कमियों को चिन्हित किया गया:**
  - ऋण-से-मूल्य (LTV) अनुपात की कमज़ोर निगरानी।
  - जोखिम भार का गलत अनुप्रयोग।
  - सोने की नीलामी में पारदर्शिता की कमी।
  - ग्राहक की उपस्थिति के बिना वैल्यूएशन।
- **बढ़ती ऋणग्रस्तता**: धीमी होती अर्थव्यवस्था ने आय के स्तर को प्रभावित किया है, जिससे उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता कम हो गई है।
- **सोने की ऊंची कीमतें:**
  - सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को घरेलू ज़रूरतों, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा बिलों जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - ऋण राशि सोने की खरीद मूल्य से अधिक होने के कारण उधारकर्ता अक्सर चूक (डिफ़ॉल्ट) जाते हैं, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है।
- **पूर्व अभ्यास - एवरग्रीनिंग**:
  - उधारकर्ता केवल ब्याज का भुगतान करके **आभूषणों को पुनः गिरवी** रख सकते थे।
  - इसने मूलधन की अदायगी के बिना अनिश्चितकालीन ऋण विस्तार की अनुमति दी।
  - **हाल ही में हुए बदलाव**: उधारकर्ताओं को पुनः गिरवी रखने से पहले पूरा मूलधन + ब्याज चुकाना होगा।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA)

- **यह एक ऋण या अग्रिम है, जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय(overdue) रहता है।**
- **वर्गीकरण (RBI दिशानिर्देशों के अनुसार):**
  - **घटिया परिसंपत्तियाँ:** ऐसी परिसंपत्तियां, जो 12 माह या उससे कम अवधि तक NPA बनी रहीं।
  - **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ:** वह परिसंपत्ति, जो 12 माह की अवधि तक घटिया श्रेणी में बनी रही हो।
  - **हानि वाली परिसंपत्तियां:** इसे "असंग्रहणीय" या इतना कम मूल्य का माना जाता है कि, बैंक योग्य परिसंपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता की गारंटी नहीं है, यद्यपि कुछ पुनर्प्राप्ति मूल्य हो सकता है।
- **किसी भी बैंक की NPA स्थिति को समझने में हमारी सहायता करने वाले मीट्रिक्स:**
  - **सकल NPA:** यह बैंकों के कुल **NPA** को संदर्भित करता है।
  - **शुद्ध NPA:** शुद्ध NPA की गणना, सकल NPA-प्रावधान राशि के रूप में की जाती है।
    - अर्थात् शुद्ध NPA, बैंक द्वारा इसके लिए विशिष्ट प्रावधान करने के बाद NPA का सटीक मूल्य बताता है।

RBI के ड्राफ्ट दिशानिर्देश -

- **ऋण देने पर प्रतिबंध:** सोने/चांदी द्वारा समर्थित वित्तीय परिसंपत्तियां (जैसे ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड)।
- **LTV कैप:** उपभोग स्वर्ण ऋण के लिए अधिकतम 75%।
- **ऋण उद्देश्य:** समान स्वर्ण संपार्श्विक का उपयोग, उपभोग और आय-सृजन दोनों उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
- **संपार्श्विक सत्यापन:** ऋणदाताओं को स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड सुनिश्चित करना होगा एवं सत्यापन प्रमाण बनाए रखना होगा।
- **ऋण अवधि:** बुलेट पुनर्भुगतान ऋण (मूलधन + परिपक्वता पर भुगतान किया गया ब्याज) की अधिकतम अवधि 12 माह है।

स्रोत: **Indian Express - Gold loan NPA**

चीता को कुनो से गांधीसागर WLS में स्थानांतरित किया जा रहा है

संदर्भ

चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य(WLS) में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

चीता परियोजना संचालन समिति के संदर्भ में -

- **इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा मई 2023 में, प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की देखरेख, मूल्यांकन एवं परामर्श देने के लिए की गई थी।**
- इसमें वन्यजीव विशेषज्ञ, वन अधिकारी, पशुचिकित्सक और वैज्ञानिक सलाहकार शामिल हैं।
- यह समिति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और MoEFCC (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को रिपोर्ट करती है।
- **प्रमुख जिम्मेदारियाँ:**
    - चीता के स्वास्थ्य, अस्तित्व और गतिविधि की निगरानी करना।
    - पुनर्वास स्थलों पर निर्णय लेना और निवास स्थान की तैयारी का आकलन करना।
    - चीता के पुनरुत्पादन की वैज्ञानिक अखंडता एवं अनुकूली प्रबंधन सुनिश्चित करना।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य -

- **स्थान:** राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा नीमच जिले। **इसे 1974 में वन्यजीव अभयारण्य (WLS) के रूप में अधिसूचित किया गया था।**
- **नदी:** चंबल नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है, जो इसे दो भागों में विभाजित करती है।
- **IBA:** गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और जलाशय भी एक निर्दिष्ट महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (**IBA**) है।
- **वनस्पति:** खैर, सलाई, तेंदू, पलाश आदि।
- **जीव-जंतु:** चिंकारा, नीलगाय व चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा और सियार आदि।
    - यहां मगरमच्छ और कछुओं की भी अच्छी संख्या है।
- **ऐतिहासिक स्थान:** चतुर्भुज नाथ मंदिर, भड़काजी रॉक पेंटिंग और हिंगलाजगढ़ किला।

स्रोत: [Indian Express - Shifting of Cheetah]

समाचार संक्षेप में

वायुमंडलीय नदियाँ(Atmospheric Rivers)

- **वायुमंडलीय नदियाँ वायुमंडल में नमी की लंबी, संकरी पट्टियाँ हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में जलवाष्प का परिवहन करती हैं।**
- जब वायुमंडलीय नदियाँ भूमि के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे गहन और तीव्र वर्षा, चक्रवाती पवनों और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हुई लहरों के साथ, तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- **इन्हें "आकाश में नदियाँ" भी कहा जाता है।**
- सबसे प्रसिद्ध और सबसे मजबूत वायुमंडलीय नदियों में से एक **पाइनएप्पल एक्सप्रेस** है, यह हवाई के आसपास उष्णकटिबंधीय प्रशांत से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक नमी पहुंचाती है।
- **वायुमंडलीय नदियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
    - NASA के 2018 के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि- बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वायुमंडलीय नदियाँ अधिक तीव्र, लंबी और चौड़ी हो जाएंगी।
    - 21वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीनलैंड, पश्चिमी उत्तर अमेरिका, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में वायुमंडलीय नदियों की संख्या 50-290% अधिक हो सकती है (Phys.com रिपोर्ट)।

स्रोत: **Indian Express - Atmospheric River**

सर शंकरन नायर

- जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) की 106वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शंकरन नायर के साहसिक कानूनी प्रतिरोध पर प्रकाश डाला।

शंकरन नायर के बारे में -

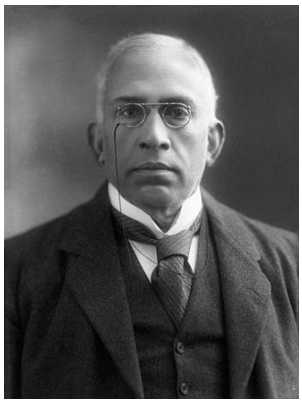

- **सर चेट्टूर शंकरन नायर (1857-1934) एक प्रमुख न्यायाधीश, राष्ट्रवादी नेता और समाज सुधारक थे।**
- उनका जन्म **1857** में **मनकारा गांव, पलक्कड़ जिले (केरल)** में एक **कुलीन परिवार** में हुआ था।
- **1897** में, वे भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष** बने। (उस समय सबसे कम उम्र के)
- **1908** में, उन्हें **मद्रास उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश** नियुक्त किया गया।
    - **उनके प्रसिद्ध निर्णय**:
        - **बुदासना बनाम फातिमा (1914),** उन्होंने फैसला सुनाया कि जो लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं, उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता।
- उन्होंने **मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों (1919)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी।
- **उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध में वायसराय की परिषद से त्यागपत्र दे दिया।**
- अपनी पुस्तक **"गांधी और अराजकता" (1922)** में, उन्होंने गांधी के **अहिंसा और सविनय अवज्ञा** के तरीकों की आलोचना की।
- **उन्हें सबसे अधिक याद किया जाता है:**
    - **ब्रिटिश औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ़ उनका कड़ा रुख, विशेषकर जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919)** के बाद।
    - इंग्लैंड में **मानहानि के एक मामले में ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ'डायर के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई।**

स्रोत:Indian Express - Shankaran Nair

साइबर दासता(Cyber Slavery)

- हाल ही में महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा म्यांमार से 'साइबर दासता' में धकेले गये, 60 से अधिक भारतीय नागरिकों को बचाया गया।

साइबर दासता क्या है?

- **साइबर दासता का मतलब है, धोखाधड़ी या शोषणकारी परिस्थितियों में साइबर अपराध की गतिविधियों में व्यक्तियों की जबरन या जबरदस्ती भागीदारी,** जैसे:
  - मानव तस्करी।
  - धमकी के तहत हिरासत में रखना।
  - आवागमन की स्वतंत्रता से वंचित करना।
  - कोई विधिक रोजगार की स्थिति नहीं।
- यह **आधुनिक समय की तस्करी का एक उभरता हुआ रूप** है।
- पीड़ितों को **फर्जी नौकरी के ऑफर का लालच** दिया जाता है। आगमन पर, उनके यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें धमकी के तहत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- जैसे डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला, क्रिप्टो घोटाले और फ़िशिंग आदि।

स्रोत: The Hindu - CS

पिंक मून(Pink Moon)

- **पिंक मून अप्रैल के महीने में हुई पूर्णिमा को दिया गया नाम है।**
- **यह वास्तव में गुलाबी रंग का नहीं है - यह नाम गुलाबी जंगली फूल से आया है जो शुरुआती वसंत में खिलता है (न कि चंद्रमा इस रंग का दिखाई देता है)।**
- **2025** में, पिंक मून **12** अप्रैल को हुआ। यह एक माइक्रोमून भी था:
  - एक माइक्रोमून छोटा और धुंधला दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा **अपभू** पर होता है अर्थात अपनी कक्षा में पृथ्वी से इसकी सबसे दूर की दूरी।
  - सुपरमून के विपरीत (जो **उपभू** पर होता है - पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु) होता है।

स्रोत: Mint - Pink Moon

बिहू नृत्य

- **बिहू असम का पारंपरिक लोक नृत्य है।**
- यह **रोंगाली बिहू त्यौहार** (जिसे **बोहाग बिहू** भी कहा जाता है) के दौरान किया जाता है, जो **असमिया नव वर्ष और वसंत के आगमन** का प्रतीक है।
- बिहू त्यौहार साल में तीन बार मनाया जाता है: बोहाग बिहू (वसंत), माघ बिहू (शीतकालीन) और कोंगाली बिहू (शरद ऋतु)।
- **यह युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है।**
- वर्तमान में बिहू "यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची" का हिस्सा नहीं है।

स्रोत: Indian Express - Bihu

संपादकीय सारांश

DPDP अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन

संदर्भ

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में हाल के संशोधनों ने कुछ व्यक्तिगत सूचनाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करके पारदर्शिता के संभावित कमजोर पड़ने पर चिंता जताई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) -

- इसे भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कानून माना जाता है, जिसने:
  - शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया है।
  - नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है।
- पिछले दो दशकों में, आरटीआई ने शासन को अधिक सहभागी और जनता के प्रति जवाबदेह बना दिया है।
- दूसरी एआरसी रिपोर्ट के अनुसार, 'आरटीआई सुशासन की कुंजी है'

आरटीआई अधिनियम की प्रमुख धाराएं -

- **धारा 3 :** इसमें प्रावधान है कि अधिनियम के तहत **प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है।**
- **धारा 8: उन छूटों की** सूची जिनके अंतर्गत सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।
  - **धारा 8(1)(j)**: व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जब तक कि यह **व्यापक सार्वजनिक हित में न हो** या जब तक कि वही जानकारी **संसद या राज्य विधानमंडल को उपलब्ध नहीं कराई जाती**।
- **धारा 19: दो स्तरीय अपीलीय तंत्र** का प्रावधान करता है:
  - **प्रथम अपील** लोक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी को की जा सकती है।
  - केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग में **द्वितीय अपील।**

DPDP अधिनियम द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन -

- **DPDP अधिनियम की धारा-44(3)** आरटीआई अधिनियम की **धारा-8(1)(j) में** संशोधन करती है।
  - **यह संशोधन सार्वजनिक प्राधिकारियों को सार्वजनिक हित पर विचार किए बिना "व्यक्तिगत जानकारी" तक पहुंच से इनकार करने की अनुमति देता है।**
  - DPDP अधिनियम इस खंड को एक व्यापक छूट के साथ प्रतिस्थापित करता है, जो केवल यह कहता है कि कोई भी "व्यक्तिगत जानकारी" प्रकटीकरण से मुक्त है, तथा "व्यापक सार्वजनिक हित" परीक्षण को हटा देता है।
- **मूल आरटीआई प्रावधान:**
  - आरटीआई अधिनियम की **धारा-8(1)(j) केवल तभी व्यक्तिगत जानकारी रोकने की अनुमति देती है** जब:
    - **निजता का उल्लंघन** होगा।
    - इसका **सार्वजनिक गतिविधि** या हित से कोई संबंध नहीं है।
  - **सुरक्षा धारा**: यदि व्यापक जनहित उचित हो तो ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का भी खुलासा किया जा सकता है।
    - जैसे, लोक सेवकों के जाति प्रमाण पत्र या शैक्षिक डिग्रियाँ।

नागरिक समाज एवं विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताएँ -

- **सार्वजनिक सूचना तक पहुंच पर प्रतिबंध:** पिछले प्रावधान में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति दी गई थी, यदि यह सार्वजनिक हित में हो (उदाहरण के लिए, सरकारी अधिकारियों की संपत्ति और देनदारियां)।
- **आरटीआई निर्णयों और मिसालों पर प्रभाव:** पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के कई निर्णय **धारा 8(1)(j)** में **"सार्वजनिक हित" खंड पर आधारित रहे हैं**।
    - नया प्रावधान ऐसे डेटा तक पहुंच की अनुमति देने के विवेकाधिकार को हटा देता है, जिससे पिछले फैसले प्रभावित होंगे।
- **के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय का उद्देश्य किसी अन्य कानून (DPDP) के माध्यम से आर.टी.आई. अधिनियम में परिवर्तन करना नहीं था।**
- **संशोधन के संभावित परिणाम:**
    - इससे शासन में पारदर्शिता कम होगी।
    - लोक सेवकों और अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई बढ़ेगी।
    - सरकार को जवाबदेह बनाने में आरटीआई अधिनियम को कमजोर करना।

संबंधित समितियां एवं मामले -

- **न्यायमूर्ति ए.पी. शाह समिति (2012):** इसने आरटीआई अधिनियम के तहत पहुँच अधिकारों पर डेटा संरक्षण को हावी होने देने के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी।
- **गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त (2012):** सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को प्राथमिकता दी, लेकिन यह भी कहा कि यदि सार्वजनिक हित में हो तो आवश्यक जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu - Unnecessary Change